



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-376/

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरफूल चौधरी सह-आवेदक श्री महेन्द्र कुमार जाट खनन पट्टा संख्या 12/2022 ग्राम आकरोल द्वारा मैसनरी स्टोन खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री हरफूल चौधरी सह-आवेदक श्री महेन्द्र कुमार जाट	12/2022	4.5021	आकरोल	मैसनरी स्टोन	620250
2	श्री हरफूल चौधरी सह-आवेदक श्री भावेश पटेल एण्ड श्री मनमोहन गोयल	07/2022	2.1428	आकरोल	मैसनरी स्टोन	246000
3	श्री हरफूल चौधरी सह-आवेदक श्री भावेश पटेल एण्ड श्री मनमोहन गोयल	08/2022	1.0697	आकरोल	मैसनरी स्टोन	121500

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.7146 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-987750 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम आकरोल, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि श्री हरफूल चौधरी सह-आवेदक श्री महेन्द्र कुमार जाट खनन पट्टा संख्या 12/2022 ग्राम आकरोल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील कार्यालय- विजयनगर, जिला-ब्यावर।
6. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति मसूदा, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ब्यावर के पत्र क्रमांक कब्या/एफ. 8(14)/सामान्य/2024/836 दिनांक 03.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 08/07/2024 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत शिवनगर, पंचायत समिति मसूदा, तहसील विजयनगर, जिला ब्यावर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(निधि खण्डेलावाल)
वरिष्ठ पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी